न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– 198 / 2022
GCMS NO. 2022 / 554

1. कमला देवी पुत्री स्व. हरनारायण पत्नी कन्हीराम आयु 64 वर्ष, जाति जाट निवासी नेतरामपुरा तन् जाखोद, तहसील–चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)
2. बिमला देवी पुत्री स्व. हरनारायण पत्नी धर्मचन्द आयु 62 वर्ष, जाति जाट निवासीगण भालोठ तहसील बुहाना, जिला–झुन्झुनू (राज0) मोबाईल नम्बर 9764110041

.....वादियागण

बनाम

1. सरती उर्फ सरस्वती पत्नी स्व. सुमेर सिंह आयु 67 वर्ष, जाति जाट निवासी गोरीर, तहसील खेतडी हाल आबाद 151 ए छत्तरगढ़ पट्टी, गली नेकीराम की सिरसा (हरि.)
2. प्रताप सिंह पुत्र स्व. हरनारायण आयु 57 वर्ष जाति जाट निवासी गोरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
3. रोहताश पुत्र छित्तरराम माता स्व. किताब देवी पुत्री स्व. हरनारायण आयु 55 वर्ष
4. रोशन लाल पुत्र छित्तरराम माता स्व. किताब देवी पुत्री स्व. हरनारायण आयु 52 वर्ष
5. राजेन्द्र पुत्र छित्तरराम, माता स्व. किताब देवी पुत्री स्व. हरनारायण, आयु 50 वर्ष
6. सुरेन्द्र पुत्र छित्तरराम माता स्व. किताब देवी पुत्री स्व. हरनारायण आयु 39 वर्ष
   समस्त जाति जाट निवासीगण बुढवाल, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि)
7. किताबो पत्नी छैलूराम
8. अनिता पुत्री छैलूराम
9. शकुन्तला पुत्री छैलूराम
10. सुनिता पुत्री छैलूराम
11. सुशीला पुत्री छैलूराम
12. दयानन्द पुत्र छेलूराम
13. दलिप पुत्र छेलूराम
14. राजेश पुत्र छेलूराम
15. मनीषा पुत्री राजेन्द्र
16. हरफूल पुत्र घोघड
    समस्त जाति जाट निवासीगण गोरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
17. राहुल महला पुत्र श्री मनीराम महला जाति जाट निवासी फरवाई कलां जिला सिरसा (हरि.)
18. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
19. भू स्वामी जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला–झुन्झुनू (राज.)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1.	श्री कृष्ण कुमार वर्मा	अधिवक्तां	वादीयागण की ओर से
2.	श्री सुनील कुमार जांगिड़	अभिभाषक	प्रति. संख्या 2 लगा. 6 की ओर से

दावा :– अधिकार घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955
एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 02–01–2023

वादीयागण की ओर से दिनांक 26.08.2022 को इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया कि :–

1. यह कि वादियागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 सभी एक ही कुटुम्ब के सदस्य है, जिनकी वंशावली निम्न प्रकार है–

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

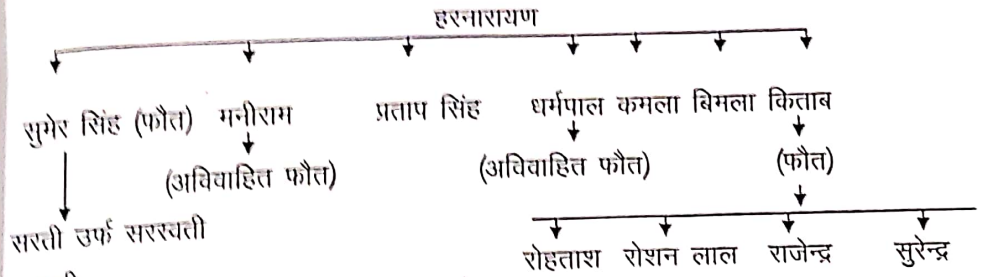

इस प्रकार उपरोक्त वंशावली से स्पष्ट है कि वादियागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 मृतक हरनारायण के उत्तराधिकारी हैं। मृतक हरनारायण के चार पुत्र पैदा हुये, जिनमें से मनीराम का मई 2013 तथा धर्मपाल का जनवरी 1988 में अविवाहित देहान्त हो चुका है।

2. यह कि वाके ग्राम गौरीर तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू (राज) में स्थित जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 554 के हाल खसरा नम्बर 1107 रकबा 0.14 है0 खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.14 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 17 का 1/6 हिस्सा तथा मृतक मनीराम का 1/6 हिस्सा तथा शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारान के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

3. यह कि वाके ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.) में स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 485 के हाल खसरा नम्बर 140 रकबा 1.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1527 रकबा 019 हैक्टर, खसरा नम्बर 1532 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.79 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.65 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 17 का 1/3 हिस्सा तथा मृतक मनीराम का 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

4. यह कि वाद पत्र के बिन्दु संख्या 2 में वर्णित भूमि खाता संख्या 554 में दर्ज खातेदार मनीराम पुत्र हरनारायण मई 2013 में अविवाहित फौत हो चुके हैं तथा इसी खाते में दर्ज खातेदार छेलू पुत्र दुला का भी देहान्त हो चुका है, इसलिए उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 14 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

5. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 में वर्णित भूमि गत खसरा संख्या 440 के हाल खसरा नम्बर 1107 रकबा 0.14 हैक्टर गत खसरा नम्बर 440 के हाल खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.14 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 हैक्टर तथा वाद पत्र के खण्ड संख्या 3 में वर्णित भूमि गत खसरा नं 140 के हाल खसरा नम्बर 46 रकबा 1.25 हैक्टर, गत खसरा नम्बर 781 के हाल खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.19 हैक्टर, गत खसरा नम्बर 784 के हाल खसरा नम्बर 1532 रकबा 0.42 हैक्टर, गत खसरा नम्बर 14/1 के हाल खसरा नम्बर 44 रकबा 0.79 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.65 हैक्टर भूमि में वादियागण के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति के पिता (ससुर) प्रतिवादी संख्या 2 के पिता प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के नाना स्व. हरनारायण पुत्र मुखराम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है से बनी है।

6. यह कि वादियागण स्व. हरनारायण पुत्र मुखराम की जायन्दा पुत्रिया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जायन्दा पुत्र हैं तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 की माताजी स्व. किताब जो कि स्व. हरनारायण पुत्र मुखराम की जायन्दा पुत्री थी। इस प्रकार वादियागण व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 की माताजी स्व. किताब तीनों सगी बहने है जो कि स्व. हरनारायण पुत्र मुखराम की जायन्दा पुत्रिया है। तथा वाद वर्णित भूमि वादियागण तथा प्रतिवादी संख्या के पति स्व. सुमेर सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 की माताजी स्व. किताब की पैत्रक भूमि है।

7. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 में वर्णित भूमि में वादियागण प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा है, तथा वाद पत्र के खण्ड संख्या 3 में वर्णित भूमि में वादियागण प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा है । स्व. हरनारायण पुत्र मुखराम की मृत्यु पर विरासतन नामान्तकरण उपरोक्तानुसार भरा जाना चाहिए, किन्तु राजस्व अधिकारियों की गफलत व लापरवाही से वाद वर्णित आराजियात का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा मनीराम के नाम गलत व अवैधानिक ढंग से भर दिया गया। उक्त नामान्तकरण शुरू से ही शून्य होने से वादियागण कतई पावन्द नहीं हैं।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

तथा उक्त गलत व अवैध नामान्तकरण तथा उसके आधार पर बने गलत राजस्व रिकार्ड से भी वादियागण कतई पावन्द नहीं है। इसलिए उक्त गलत व अवैध राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने तथा अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का वादियागण को पूर्ण कानूनी हक व अधिकार है। वाद वर्णित आराजियात में से मनीराम पुत्र हरनारायण का मई 2013 में अविवाहित देहान्त हो चुका है इसलिए वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 व 3 में दर्ज भूमि में से मनीराम पुत्र स्व. हरनारायण का हिस्सा स्वतः ही खत्म हो गया। जिसका नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वाद वर्णित आराजियात पैत्रक कृषि भूमियां हुई। वादियागण स्व. हरनारायण की जायन्दा पुत्रिया है। वादग्रस्त आराजियात पैत्रक कृषि भूमि होने से उनमें वादियागण का जन्म से ही खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गए। इस प्रकार वादियागण को वाद वर्णित आराजियांत के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर खातेदारी की घोषणा करवाने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है।

8. यह कि प्रतिवादीनी संख्या 1 अपने पति के जीवनकाल से ही पिछले करीब 35 वर्षो से सिरसा (हरि.) में स्थाई रूप से निवास कर रही है, इस दौरान वह कभी ग्राम गौरीर में नहीं आई, न ही उसका वाद वर्णित आराजियात कृषि भूमि में पिछले 35 वर्षो से कब्जा काश्त रहा है. प्रतिवादीनी संख्या 1 ने अपनी नणदों के भात–छूछको में आये खर्चे में कभी हिस्सा नहीं दिया और न ही उनको कभी किसी अवसर पर बुलाया है। तथा प्रतिवादीनी संख्या 1 ने ग्राम गोरीर में अपनी कृषि भूमि के बदले काफी ऋण उधार कर लिया था, जिसका व्याज सहित ऋण प्रतिवादी संख्या 2 ने चुकाया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ही अपनी बुआ–बहिनों के भात–छुछक भरता आया है तथा त्योंहार–बार आदि अवसरों पर समयानुसार बुलाता रहता है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के पति सुमेर सिंह के जीवनकाल से ही उसके हिस्से की वाद वर्णित आराजियात कृषि भूमि को शान्ति पूर्ण कब्जा काश्त करता आया है, तथा आज भी मौके पर बाजरे की फसल काश्त कर रखी है तथा वाद वर्णित कृषि भूमि के चारों तरफ तारबंदी कर रखी है, तथा वादियागण व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के हिस्से की वाद वर्णित भूमि बाहमी बंटवारे के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 ही काश्त कर रहा है। तथा हिस्से के अनुसार उपज (फसलों) का आपस में बंटवारा कर लेते हैं। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का पिछले करीब 35 वर्षो से वाद वर्णित आराजियात कृषि भूमि में मौके पर कब्जा काश्त ना होते हुए प्रतिवादी संख्या में बाला–बाला वाद वर्णित विवादित भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2022 को प्रतिवादी संख्या 17 के हक में कर दिया व विक्रय पत्र में झूठे रूप से 8 लाख रुपये दर्ज कर दिए। तथा वादियागण व प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को हानि पहुँचाने के लिए विना सद्भावी आवश्यकता विक्रय पत्र तकमील कर दिया। उक्त फर्जी विक्रय–पत्र से प्रतिवादी संख्या 17 को विवादित भूमि बाबत कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते और ना ही वादियागण के अधिकार प्रभावित होते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 17 के हक में दिनाक 09रू062022 को तस्दीक करवाया गया विक्रय–पत्र अवैध व शून्य है, क्योंकि वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या महज 1/10 हिस्से की तथा वाद पत्र के खण्ड संख्या 3 में वर्णित आराजियात कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 महज 1/5 हिस्से की ही खातेदार विरासतन है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद वर्णित आराजियात कृषि भूमि में अपने हिस्से से अधिक का बेचान किया है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनाक 09.06.2022 को प्रतिवादी संख्या 17 के हक में तकमील करवाया गया विक्रय पत्र प्रथमतः ही शुन्य, बॉयड, एबीनिश्यिों है व ऐसे अवैध विक्रय पत्र से वादियागण के हिस्से की खातेदारी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। किन्तु गत सप्ताह से प्रतिवादी संख्या 1 व 17 विवादित वाद वर्णित भूमि पर जबरन लठ के बल पर कब्जा कर वादियागण के कदीम से चले आ रहे शान्ति पूर्ण एव निर्विवादित कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने पर आमादा है एवं उनका वाद वर्णित आराजियात पर कोई कब्जा नहीं है। वाद वर्णित आरजियात कृषि भूमि के लिए वे स्ट्रेन्जर परचेजरर है। वाद वर्णित आराजियात कृषि भूमि में वादियागण का विरासतन नामान्तकरण नहीं भरने, महज प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व मृतक मनीराम के हक में वादान्तर्गत भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद वर्णित भूमि में मौके पर कब्जा ना होते हुए तथा अपने हिस्से से अधिक का अवैध व फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2022 को प्रतिवादी संख्या 17 के हक में निष्पादित करवाने तथा उसकी आड़ में गत सप्ताह से प्रतिवादी संख्या 1 व 17 द्वारा वाद वर्णित भूमि में जबरन लठ के बल पर वादियागण के शान्ति पूर्ण व निर्विवादित चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलदाजी करने से आधार विवाद पैदा हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

वादियागण का विवादित वाद वर्णित भूमि का रिकार्ड ऑफ राईटस में नाम दर्ज होने पर भी प्रतिवादी संख्या 17 अजनबी क्रेता होने से वाद वर्णित भूमि के किसी अंश पर कब्जा नही कर सकते। यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 17 विवादित भूमि के किसी अंश पर जबरन लठ के बल पर घुसते हैं व कब्जा कर काश्त करते हैं तो ये अतिक्रमी की तारीफ में आयेंगे। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 17 ने दादान्तर्गत आराजियात को विक्रय, दान, रहन तथा जबरन लठ के बल पर कब्जा कर तामिर कार्य करने पर आमादा है तथा वे इस बाबत वादियागण को धमकी दे रहे हैं। यदि वे अपने नापाक मकसद में कामयाब हो गये तो वादियागण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्याकन किया जाना असंभव है एवं कई अनावश्यक कानूनी पेचदगिया पैदा होंगी, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़ेगी इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 17 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यावश्यक है। इसलिए वादियागण को घोषणात्मक रिकार्ड दुरुस्ती के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का बाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

9. यह कि वाद वर्णित भूमि के सहखातेदार छेलू पुत्र दूला की मृत्यु हो गई है इसलिए उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 14 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है । प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का वाद वर्णित आराजियात में हित निहित है क्योंकि वे स्व. हरनारायण की जायन्दा पुत्री किताब देवी की विधिक वारिसान हैं। इसलिए उन्हें वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 17 सह खातेदार होने से तथा प्रतिवादी संख्या 19 भूमिधारी एवं प्रतिवादी संख्या 18 उप पंजीयक खेतड़ी है जिसके यहां प्रतिवादी संख्या 1 व 17 विवादित भूमि का विक्रय–पत्र, रहननामा, दान पत्र आदि पंजीयन (तस्दीक) करवाने की धमकी दे रहे हैं इसलिए उन्हें वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

10. यह कि प्रतिवादी संख्या 18 लोक सेवक है जिसके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाने से पूर्व दो माह का अन्तर्गत धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन मामला अत्यावश्यक प्रकृति का है, यदि दो माह का नोटिस दिया जाकर वाद पेश किया जाता है तो तब तक प्रतिवादी संख्या 1 व 17 विवादित वाद वर्णित भूमि का विक्रय–पत्र, दान पत्र, रहन नामा आदि पंजीकृत करवा देंगे जिससे वाद का उददेश्य ही समाप्त हो जायेगा इसलिए बिना नोटिस दिये यह वाद पेश किया जा रहा है जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर स्वीकृति ली गई है।

11. यह कि आधार विवाद दावा गत सप्ताह प्रतिवादी संख्या 1 व 17 द्वारा वादग्रस्त आराजियात के गलत व अवैध राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने से मना करने प्रतिवादी संख्या 1 व 17 द्वारा वादान्तर्गत आराजियात में उनका नाम होने से गलत फायदा उठाकर किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय पत्र, रहन, दान आदि कर खुर्द–बुर्द करने तथा तामिर कार्य करने की धमकी देने से, वादियागण का नाम इन्तकाल में विरासतन में दर्ज नहीं करने, प्रतिवादी संख्या 1 व 17 द्वारा जबरन लठ व धन के बल पर वादियागण के शान्तिपूर्ण व निर्विवादित रूप से चले आ रहे कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने, उन्हें जबरन बेदखल करने से पैदा हुआ है। अतः दावा सावधि पेश है।

12. यह कि वाद वर्णित आराजियात कृषि भूमि न्यायालय श्रीमानजी के सीमा क्षेत्राधिकार में ग्राम गोरीर तहसील खेतड़ी में स्थित होने से वाद की सुनवाई का श्रीमानजी को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

13. यह कि वाद पत्र निर्धारित न्यायालय शुल्क व दो प्रतियों में विधिवत रूप से पेश है।

14. यह कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विचाराधीन नहीं है।

15. यह कि उक्त वाद अपटूडेट राजस्व रिकार्ड के साथ पेश किया गया है तथा वादियागण दौराने दावा वाद वर्णित भूमि को विक्रय, दान, रहन व अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं करेंगे, जिसके समर्थन में वादिया का शपथ साथ पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–

(क) कि वाद वादियागण बहक वादियागण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.) में स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2076 2079 के खाता संख्या 554 के हाल खसरा नम्बर 1107 रकबा 0.14 है. खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.14 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 हैक्टर भूमि में मनीराम पुत्र हरनारायण का नाम हजफ किया जाकर वादियागण प्रत्येक को 1/10, 1/10 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 1 को

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

1/10 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/10 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को संयक्त रुप से 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जायें तथा उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती के आदेश प्रतिवादी संख्या 19 को दिया जावे।

(ख) कि वाद वादियागण बहक वादियागण विरूद्ध प्रतिवादीगण वाके ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज) में स्थित जमाबन्दी सम्वत 2076 2079 के खाता संख्या 485 के हाल खसरा नम्बर 140 रकबा 1.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 1532 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.79 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.65 हैक्टर भूमि में वादियागण प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को संयुक्त रुप से 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित क्रिया जावे तथा उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के आदेश प्रतिवादी संख्या 19 को दिया जायें। तथा उक्त दावे में दर्ज मनीराम पुत्र हरनारायण का नाम हजफ किया जावे तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाये।

(ग) कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 17 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वे वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजियात कृषि भूमि में वादियामण के चले आ रहे शान्तिपूर्वक व निर्विवादित कब्जा काश्त में दखलंदाजी, रुकावट बाधा व्यवधान ना डाले, उनके हिस्से के किसी भाग का अंश पर जबरन लठ व धन के बल पर कब्जा ना करें उन्हें जबरन बेदखल ना करें। तथा दौराने दावा विवादित वाद वर्णित आराजियात कृषि भूमि को अन्य किसी को विक्रय, दान, बंधक, रहन या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर खुर्द-बुर्द ना करें, ना ही तामिर कार्य करें तथा राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन ना करें, राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। ऐसा ना तो वे स्वंय करें, ना ही अपने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों, एजेन्टो आदि से करवायें।

(घ) कि प्रतिवादी संख्या 18 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि उसके समक्ष दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 व प्रतिवादी संख्या 17 वाके ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.) में स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 554 के हाल खसरा नम्बर 1107 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.14 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 हैक्टर तथा ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज0) में स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 485 के हाल खसरा नम्बर 140 रकबा 1.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.19 हैक्टर खसरा नम्बर 1532 रकबा 0.42 हैक्टर खसरा नम्बर 44 रकबा 0.79 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.65 हैक्टर भूमि की बाबत किसी प्रकार का विक्रय-पत्र, दान पत्र, रहन नामा, बंधकनामा या अन्य हस्तातरण विलेख के दस्तावेज का पंजीयन (तस्दीक) करवाने हेतु पेश करे तों उसे पंजीयन नहीं करें। ऐसा ना तो स्वयं करे, ना ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करवायें।

(ङ) कि वाद वादियागण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे तथा खर्चा दावा दिलाया जाये।

(च) कि अन्य अनुतोष जो बाद में अयाचित हो तथा न्यायालय श्रीमान जो उचित समझो दिलाया जायें।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 7 से 19 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का इकबाली जवाब दावा पेश किया कि वाद वादीगण डिक्री किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

वादीयागण की ओर से निम्न साक्ष्य पेश की गई :-

1. नकल जमाबन्दी संवत 2074-2077 ग्राम गोरीर खाता संख्या 554 (प्रदर्श-1)
2. नकल जमाबन्दी संवत 2074-2077 ग्राम गोरीर खाता संख्या 485 (प्रदर्श-2)
3. नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल ग्राम गोरीर (प्रदर्श-3)
4. नकल जमाबन्दी संवत 2043 ग्राम गोरीर खाता संख्या 77 (प्रदर्श-4)
5. नकल जमाबन्दी संवत 2043 ग्राम गोरीर खाता संख्या 273 (प्रदर्श-5)
6. नकल जमाबन्दी संवत 2025-2028 ग्राम गोरीर खाता संख्या 74 (प्रदर्श-6)
7. नकल जमाबन्दी संवत 2025-2028 ग्राम गोरीर खाता संख्या 382 (प्रदर्श-7)
8. नकल विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2022 भूमि स्थित ग्राम गोरीर (प्रदर्श-8, 9, 10)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

9. फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण मनीराम पुत्र हरनारायण (प्रदर्श–11)
10. फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण धर्मपाल पुत्र हरनारायण (प्रदर्श–12)
11. नकल पर्चा खतौनी संवत 1988–2008 मौजा गोरीर खाता नम्बर 123 (प्रदर्श–13)
12. मौखिक साक्ष्य में कमला देवी पुत्री स्व. हरनारायण का शपथ पत्र (पी.डब्लू–1)
13. मौखिक साक्ष्य में धर्मपाल पुत्र बंशीधर का शपथ पत्र (पी.डब्लू–2)

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रलेखीय दस्तावेजात् व वादीयागण के वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया।

वादीयागण के मुताबिक स्व0 हरनारायण पुत्र मुखराम के वादीयागण सहित 7 वारिस पैदा हुये। नकल जमाबन्दी संवत 2025–2028 ग्राम गोरीर खाता संख्या 74 (प्रदर्श–6), खाता संख्या 382 (प्रदर्श–7) तथा नकल पर्चा खतौनी संवत 1999–2008 मौजा गोरीर खाता संख्या 123 (प्रदर्श–13), नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल ग्राम गोरीर (प्रदर्श–3) से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के गत खसरा नम्बर 440 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा हिस्सवा 1/2 **(हाल निर्मित खसरा नम्बर 1107 रकबा 0. 14 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.14 हेक्टेयर)**, गत खसरा नम्बर 14/2 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 781 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 784 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा सम्पूर्ण **(हाल निर्मित खसरा नम्बर 44 रकबा 0.79 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 140 रकबा 1.25 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.19 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1532 रकबा 0.42 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.65 हेक्टेयर)** की खातेदारी स्वर्गीय हरनारायण पुत्र मुखराम की रही है। हरनारायण की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि का विरासत नामान्तरकरण उसके 4 पुत्रों क्रमशः सुमेर सिंह, मनीराम, धर्मपाल, प्रतापसिंह के नाम दर्ज किया गया।

वादीयागण का उक्त वाद पत्र के जरिये उज्र है कि उन्हे मृतक पिता हरनारायण की वादग्रस्त भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हरनारायण की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि का विरासत नामान्तरकरण उसके 4 पुत्रों क्रमशः सुमेर सिंह, मनीराम, धर्मपाल, प्रतापसिंह के नाम दर्ज किया गया। स्व. हरनारायण के एक पुत्र धर्मपाल का दिनांक 15.01.1988 को अविवाहित देहान्त हो जाने से उसका हिस्सा उसके भाईयों सुमेर सिंह, मनीराम, प्रतापसिंह में मर्ज किया गया। स्व. हरनारायण के एक पुत्र श्री सुमेर सिंह का देहान्त हो जाने के कारण वादग्रस्त भूमि में उसका हिस्सा उसकी पत्नि सरती उर्फ सरस्वती के नाम दर्ज हुआ। सरती उर्फ सरस्वती पत्नी स्व. सुमेर सिंह ने अपने पति के उत्तराधिकार से प्राप्त हिस्से को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2022 से राहुल मेहला पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी फरवाई कलां जिला सिरसा हरियाणा को बेचान कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 1595 दिनांक 05.07.2022 क्रेता के नाम दर्ज हो चुका है।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार माता–पिता की सम्पति में पुत्रियों का भी पुत्रों के समान जन्म से ही अधिकार है। धारा 8 के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दायादों अनुसूचि वर्ग (ए) के अनुसार वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण विधिवत् स्व. हरनारायण के सभी वारिसों के नाम दर्ज होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। वर्तमान स्थिति के अनुसार वादग्रस्त भूमि में स्व. हरनारायण के एक पुत्र श्री सुमेर सिंह का देहान्त हो जाने के कारण वादग्रस्त भूमि में उसका हिस्सा केवल उसकी पत्नि सरती उर्फ सरस्वती के नाम दर्ज हुआ। सरती उर्फ सरस्वती पत्नी स्व. सुमेर सिंह ने अपने पति के उत्तराधिकार से प्राप्त हिस्से को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2022 से राहुल मेहला पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी फरवाई कलां जिला सिरसा हरियाणा को बेचान कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 1595 दिनांक 05.07.2022 क्रेता के नाम दर्ज हो चुका है। उक्त बेचान पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर हुआ जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का विविल न्यायालय को ही अधिकार प्राप्त है। स्व. हरनारायण के एक अन्य पुत्र मनीराम का भी दिनांक 16.05.2013 को अविवाहित देहान्त हो चुका है जो वर्तमान में वादग्रस्त भूमि में खातेदार काश्तकार है। अब वादग्रस्त भूमि में वादीयागण के स्व. भाई मनीराम के हिस्से सहित खातेदारी अधिकारों का निर्धारण करना है।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दायादों अनुसूचि वर्ग (1) में मृतक मनीराम के कोई उत्तराधिकारी नहीं है। द्वितीय दायादों अनुसूचि वर्ग (2) में सर्वप्रथम जीवित भाई, बहिन, बहिन का पुत्र, बहिन की पुत्री उत्तराधिकारी है।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार माता–पिता की सम्पति में पुत्रियों का भी पुत्रों के समान जन्म से ही अधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

अतः पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के इकबाली जवाब दावा के आधार पर वादीयागण का वाद वर्तमान राजस्व रिकार्ड के आधार पर स्वीकार कर अंतिम डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है। लिहाजा

—: आदेश :—

अतः वर्तमान राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादीयागण का वाद स्वीकार कर राजस्व ग्राम **गोरीर** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या नया 554 के हाल खसरा नम्बर 1107 रकबा 0.14 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.14 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.28 हेक्टेयर में मृतक मनीराम पुत्र हरनारायण का हिस्सा 1/6 हजफ कर उक्त खाते में वादीयागण प्रत्येक को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का तथा खाता संख्या नया 485 के हाल खसरा नम्बर 140 रकबा 1.25 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.19 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1532 रकबा 0.42 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.79 हेक्टेयर किता 4 कुल रकबा 2.65 हेक्टेयर में मृतक मनीराम पुत्र हरनारायण का हिस्सा 1/3 हजफ कर उक्त खाते में वादीयागण प्रत्येक को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 17 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीयागण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करें।

उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02—01—2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

कमला देवी आदि

बनाम

सरती उर्फ सरस्वती

दावा बाबत :– अधिकार घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :– 198/2022
GCMS NO. 2022/554
निर्णय दिनांक :– 02–01–2023

वादीयागण की ओर से **श्री कृष्ण कुमार वर्मा एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की ओर से **श्री सुनिल कुमार जांगिड़ एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **02–01–2023** को जय सिंह (आर.ए.एस.) **उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

"वर्तमान राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादीयागण का वाद स्वीकार कर राजस्व ग्राम **गोरीर** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या नया 554 के हाल खसरा नम्बर 1107 रकबा 0.14 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.14 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.28 हेक्टेयर में मृतक मनीराम पुत्र हरनारायण का हिस्सा 1/6 हजफ कर उक्त खाते में वादीयागण प्रत्येक को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का तथा खाता संख्या नया 485 के हाल खसरा नम्बर 140 रकबा 1.25 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.19 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1532 रकबा 0.42 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.79 हेक्टेयर किता 4 कुल रकबा 2.65 हेक्टेयर में मृतक मनीराम पुत्र हरनारायण का हिस्सा 1/3 हजफ कर उक्त खाते में वादीयागण प्रत्येक को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 17 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीयागण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करें। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **02–01–2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Scanned with OKEN Scanner